राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 3(2)राज–6/03/पार्ट/4 जयपुर, दिनांक 24/12/2014

–:परिपत्र:–

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः–खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते, विद्यमान रास्ते के चौडा करने एवं सिंचाई हेतु पाइप लाईन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में।

खातेदारों को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने के लिए अधिसूचना दिनांक 18.01.2012 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 251–ए जोडी गई।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए की उप–धारा (1) के प्रावधानों को कियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोडकर नियम 68–70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 में खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते, विद्यमान रास्ते को चौडा करने एवं सिंचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 69 के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन मे निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध में विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 से निर्देश जारी किये गये है। राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि रास्तो, विद्यमान रास्ते को चौडा करने एवं पाइप लाईन के लिए खातेदार द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्रों का निस्तारण समय पर नही किया जा रहा है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि रास्तो एवं पाइप लाईन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रो का निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में इसकी नियमित समीक्षा की जाकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

वर्तमान में लम्बित 3 माह से अधिक के प्रार्थना पत्रों की लम्बित अवधि व लम्बित होने का कारण दर्शाते हुए सूचना तत्काल प्रेषित करायें।

Alok.S
(आलोक)
शासन सचिव, राजस्व